पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र





## भारत सरकार

Government of India खान मंत्रालय

Ministry of Mines

## भारतीय खान ब्यूरो

Indian Bureau of Mines

Mine Code: 38RAJ09014

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area अजमेर.-305 002 (राजस्थान) Aimer- 305 002 (Rajasthan) फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

दिनांक: 14.01.2021

संख्या : RAJ/CHR/LST-14

एजेंट, धनोरा लाइमस्टोन माइन, प्रेषित

मैसर्स वंडर सीमेंट लिमटेड,पो. आ.- आर.के. नगर,

तहसील-निम्बाहेडा ,जिला-चित्तोडगढ़ (राजस्थान)

Email- info@wondercement.com, mk.bokadia@wondercement.com

Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Dhanora

Limestone Mine (Lease area 255.0032 Hect.) in Chittorgarh District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 19.12.2020 & 20.12.2020 by the undersigned in presence of Sh. M. K. Bokadia, HOD(Mines).

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Mining Plan (Approved on 29.07.2015) for the year 2019-20:  1) Plantation for the year 2019-20 was proposed 600 nos. over an area 0.6 hect. but no such plantation has been carried out.
Rule 45(7)	In annual return 2019-20 following descripencies were observed:  1) In Part V of annual return total 37 nos. of bore holes having 1789m has been reported whereas during the inspection total 38 nos. of bore holes and 1812.45m reported.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

आपके विरुध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

खनन पटटे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> (डी. आर. मुर्जर वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चितोडगढ़।
- 4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो